

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या -541/2022

अनवान : -

1. प्रताप पुत्र सुल्तान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 06 आरपीएम तहसील नोहर।
-वादी

बनाम

1. सुल्तान पुत्र चुन्नीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जसाना हाल निवासी चक 06 आरपीएम तहसील नोहर-फौत
1/1. मीरा पत्नी सुल्तान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जसाना हाल निवासी चक 06 आरपीएम तहसील नोहर।
2. बलवन्त पुत्र सुल्तान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जसाना हाल निवासी चक 06 आरपीएम तहसील नोहर।
3. रेशमी पुत्री सुल्तान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जसाना हाल निवासी चक 06 आरपीएम तहसील नोहर।
4. मोहनी पुत्री सुल्तान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जसाना हाल निवासी चक 06 आरपीएम तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक महोदय नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 18/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स० 178/158 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि सुल्तान पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में सुल्तान पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। द्व सुल्तान पुत्र चुन्नीराम का स्वर्गवास हो चुका है सुल्तान पुत्र चुन्नीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 4 बहिब काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

01
उपखण्ड अधिकारी
नोहर



वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1/1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 4 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण सुल्तान, वार्ड मेम्बर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में सुल्तान पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। द्व सुल्तान पुत्र चुन्नीराम का स्वर्गवास हो चुका है सुल्तान पुत्र चुन्नीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 4 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता सं० 178/158 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि सुल्तान पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में सुल्तान पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। द्व सुल्तान पुत्र चुन्नीराम का स्वर्गवास हो चुका है सुल्तान पुत्र चुन्नीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी

अ.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 4 बहिब काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 4 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसान प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक सुल्तान के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 178/158 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि में सुल्तान पुत्र चुनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -541/2022

अनवान : -

1. प्रताप पुत्र सुल्तान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 06 आरपीएम तहसील नोहर।

-वादी

बनाम

1. सुल्तान पुत्र चुन्नीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जसाना हाल निवासी चक 06 आरपीएम तहसील नोहर-फौत
1/1. मीरा पत्नी सुल्तान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जसाना हाल निवासी चक 06 आरपीएम तहसील नोहर।
2. बलवन्त पुत्र सुल्तान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जसाना हाल निवासी चक 06 आरपीएम तहसील नोहर।
3. रेशमी पुत्री सुल्तान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जसाना हाल निवासी चक 06 आरपीएम तहसील नोहर।
4. मोहनी पुत्री सुल्तान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जसाना हाल निवासी चक 06 आरपीएम तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक महोदय नोहर तहसील नोहर।


-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 541 सन 2022 निर्णय दिनांक 18/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 178/158 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि में सुल्तान पुत्र चुन्नीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर